भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 577

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

बंद/असक्रिय कम्पनियां

*** 577. श्री रामसिंह राठवाः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित देश में बंद/असक्रिय कम्पनियों की संख्या कई वर्षों के दौरान बढ़ी है और यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा बंद/असक्रिय कम्पनियों के नाम रजिस्टर से हटाने के लिए सरकार ने 'इजी एग्जिट स्कीम' की घोषणा की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06.04.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 577 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): धारा 248 में, यदि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का समुचित कारण है कि कंपनी पिछले दो लगातार वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नहीं चला रही है तो कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी का नाम हटाने का अधिकार दिया गया है। जो कंपनियां पिछले दो या अधिक वित्तीय वर्षो से वित्तीय विवरण फाइल नहीं कर रही थीं, प्रथम दृष्टया उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। पहले चरण में इस मंत्रालय ने मार्च 2017 में 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की जो प्रथम दृष्टया पिछले दो वर्षों से कोई परिचालन या व्यावसाय नहीं चला रही थीं। दूसरे चरण में, वित्तीय वर्ष 2016-17 तक वित्तीय विवरण फाइल न करने के आधार पर धारा 248 के अधीन कार्रवाई के लिए कुल 2,25,910 कंपनियों की पहचान की गई है।

(ख): इसके अतिरिक्त, कंपनी (कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 248(2) प्रवृत्त करने के साथ ही उन कंपनियों की स्वैच्छिक निकासी के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिनपर कोई देयताएं या अन्य कोई अवरोध नहीं हैं। अब कोई कंपनी अपनी सभी देयताएं पूरी करने के बाद विशेष संकल्प द्वारा या प्रदत्त शेयरपूंजी के संबंध में अपने पचहत्तर प्रतिशत सदस्यों की सहमति से उपधारा (1) में विहित सभी या किसी एक आधार पर रजिस्ट्रार को कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने के लिए ई-प्ररूप एसटीके-2 में 5000/- रुपये की फाइलिंग फीस के साथ आवेदन कर सकती है और रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर उपर्युक्त नियमों में विहित रीति से एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। रजिस्ट्रार विधिवत् प्रक्रिया जैसे कंपनी का नाम हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में आयकर प्राधिकरण आदि जैसे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को सूचित करेगा और आपत्तियां, यदि हों, तो प्राप्त करेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो रजिस्ट्रार धारा 248 की उपधारा (5) के अधीन कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने के लिए एक सूचना जारी करेगा और इसके विघटन को प्ररूप एसटीके-7 में शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।

(ग): एमसीए21 प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान 26260 कंपनियों ने अपने नाम हटाने के लिए प्ररूप एसटीके-2 में आवेदन किया है।

(घ): संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा बंद/निष्क्रिय कंपनियों की पहचान करने के लिए कंपनियों के नाम हटाना एक सतत प्रक्रिया है।

*****